

भाकृअनुप-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो

करनाल-132 001

बिल सं.....

दिनांक

यात्रा कार्यक्रम के अनुमोदन हेतु आवेदन - यात्रा भत्ता अग्रिम हेतु स्वीकृति

1. नाम व पद
2. बेसिक पे/ग्रेड.
3. यात्रा का उद्देश्य
4. यात्रा का विवरण

दिनांक व समय	चलने का स्थान	दिनांक व समय	पहुँचने का स्थान	गाड़ी का नाम/बस/फ्लाइट सं

5. शेष अग्रिम, यदि कोई हो तो
 6. आवेदित यात्रा भत्ता अग्रिम का विवरण:
 - i) वायुयान/रेल/(द्वितीय वातानुकूल - द्वितीय शयनयान/ प्रथम श्रेणी/द्वितीय साधारण इत्यादि) रु.
 - ii) दैनिक भत्ता (उच्च दर)..... दिन @ रु..... रु.
 - iii) दैनिक भत्ता (सामान्य दर).....दिन @ रु. रु.
- कुल राशि रु.

दिनांक:

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी की अनुशंसा:

7. यात्रा कार्यक्रम का अनुमोदन व उपरोक्त राशि के अग्रिम आहरण की स्वीकृति दी जाती है.

(निदेशक)

अग्रिम राशि का समायोजन नियम जीएफआर-234 के अंतर्गत यात्रा पूरी होने के 15 दिन के अंदर किया जाना चाहिए, न होने की स्थिति में नियम (2)i-(ii), below 178(2) के अनुसार दंडात्मक ब्याज वसूल किया जायेगा.

इसके साथ यह भी वर्णित है कि "दंडात्मक ब्याज लगने की प्रक्रिया यात्रा कार्यक्रम के बदलाव की स्थिति में अग्रिम राशी का समयपूर्वक समायोजन न हो पाना, छुट्टी पर चले जाना, होटल सुविधा उपलब्ध न होना, गाड़ी में प्रथम श्रेणी में स्थान उपलब्ध न हो पाना, अधिकारी/कर्मचारी की हकदारी के अनुरूप होटल में आवास की अनुपलब्धता अथवा अग्रिम राशी के अधिक आहरण की स्थिति में भी लागू होगी.

यात्रा के सम्बन्ध में सबूतों जैसेकि साधारण टिकेट, आरक्षित टिकेट इत्यादि को टी.ए. क्लेम के साथ लगाना होगा. अग्रिम राशी के आहरण की स्थिति में आरक्षित टिकटों को 10 के अंदर दर्शाना होगा ताकि सिद्ध हो सके कि आवेदक ने आहरित राशी का उपयोग टिकेट क्रय हेतु किया है.

कार्यालय प्रयोग हेतु

8. पिछले पृष्ठ पर दिए गये विस्तृत उद्देश्य अनुसार यात्रा भत्ता अग्रिम हेतु रु..... (रु.) के लिए निदेशक की स्वीकृति प्रेषित है.

आहरण एवं वितरण अधिकारी

9. रु. (रु.) की राशि पारित की जाती है.

आहरण एवं वितरण अधिकारी

10. प्रमाणित किया जाता है की कार्मिक के खाते में कोई पूर्व यात्रा भत्ता अग्रिम राशी का समायोजन बकाया नहीं है अथवा अग्रिम राशी रु. बिल सं. दिनांक का एक समायोजन बिल अनुभाग में प्राप्त हुआ है, और प्रक्रियाधीन है.

आहरण एवं वितरण अधिकारी

-
11. कृपया रु. (रु.) प्रदान करें.

वित्त एवं लेखा अधिकारी